संख्या-26/2022/543/23-12-2022-824/17

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2022

विषय:- निष्पादन वाद सं0-616/2107 एवं 617/2017 मै0 डी0एस0 कंस्ट्रक्शन लि0 बनाम मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना, लो0नि0वि0 लखनऊ एवं अन्य में मा0 कामर्शियल कोर्ट लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-22/बीजीजी/209बी(03)/2022-23, दिनांक 13.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर्बीट्रेशन वादों में हुए अवार्डों दिनांक 17.02.2009 के अन्तर्गत मा0 कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ द्वारा निष्पादन वाद सं0-616/2017 एवं 617/2017 मै0 डी0एस0 कन्स्ट्रक्शन लि0 बनाम मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना, लो0नि0वि0 लखनऊ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा पिटीशन सं0-972/2022 व पिटीशन सं0-974/2022 मै0 डी0एस0सी0 लिमिटेड बनाम मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना (रोड्स) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ व अन्य में पारित आदेशों दिनांक 05.04.2022 एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच से प्राप्त विधिक परामर्श के दृष्टिगत मै0 डी0एस0 कंस्ट्रक्शन को देय आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल अवार्डों की धनराशि के 50 प्रतिशत धनराशि क्रमश: रू0 3,37,65,015.00 (रू0 तीन करोड़ सैंतीस लाख पैंसठ हजार पन्द्रह मात्र) एवं रू0 3,27,26,828.00 (रू0 तीन करोड़ सत्ताइस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अटठाइस मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6,64,91,843.00 (रू0 छ: करोड़ चौसठ लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तिरालिस मात्र) के अवमुक्त किये जाने हेतु बी0एम0-15 प्रपत्र पर डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 13.05.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल आर्बीट्रेशन वादों में हुए अवार्डों दिनांक 17.02.2009 के अन्तर्गत मा0 कामर्शियल कोर्ट,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

लखनऊ द्वारा निष्पादन वाद सं0-616/2017 एवं 617/2017 मै0 डी0एस0 कन्स्ट्रक्शन लि0 बनाम मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना, लो0नि0वि0 लखनऊ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा पिटीशन सं0-972/2022 व पिटीशन सं0-974/2022 मै0 डी0एस0सी0 लिमिटेड बनाम मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना (रोड्स) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ व अन्य में पारित आदेशों के दिनांक 05.04.2022 एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच से प्राप्त विधिक परामर्श के दृष्टिगत मै0 डी0एस0 कंस्ट्रक्शन को देय आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल अवार्डों की धनराशि के 50 प्रतिशत धनराशि क्रमशः रू0 3,37,65,015.00 (रू0 तीन करोड़ सैंतीस लाख पैंसठ हजार पन्द्रह मात्र) एवं रू0 3,27,26,828.00 (रू0 तीन करोड़ सत्ताइस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अटठाइस मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू0 6,64,91,843.00 (रू0 छः करोड़ चौसठ लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तिरालिस मात्र) के डिक्रीटल मद से आवंटन किये जाने की एतद्द्धारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0301-न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य(भारित)" मद के नामे डाला जायेगा।

4- डिक्रीटल मद से आवंटित उक्त धनराशि निष्पादन वाद सं0-616/2017 व 617/2017 में पारित आदेशों दिनांक 24.07.2019 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा पिटीशन सं0-972/2022 व पिटीशन सं0-974/2022 मै0 डी0एस0सी0 लिमिटेड बनाम मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना (रोड्स) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ व अन्य में पारित आदेशों दिनांक 05.04.2022 के दृष्टिगत कामर्शियल कोर्ट लखनऊ में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा शासनादेश सं0-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29.03.2022 के अनुक्रम में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रथम बार जारी किया जा रहा है। इसकी पुष्टि धनावंटन करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-26/2022/543(1)/23-12-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी, लखनऊ।

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ।

9- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ।

10- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/7/2, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।